

फर्द अहकाम					
कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर					
प्रार्थी :- श्री कानसिंह			विपक्षी :- रूपसिंह		
किस्म मुकदमा - 53,188 रा.का.अ.			पत्रावली संख्या : 155/10		
क्रमांक	कार्यवाही विवरण				
	<p>दिनांक : 15.01.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में ही एकतरफा कार्यवाही के आदेश किये जा चुके हैं।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा खाम की माडी पटवार हल्का रख्यावल की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>				
क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	रूपसिंह पिता शंकर सिंह राव सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डबोक रूपसिंह का हिस्सा	536 548 595/1 596	0.13 0.13 0.04 0.02	जा.द्वि. 0.10 बीड 0.03. बीड 0.03 चा.द्वि. 0.04 जा.द्वि. 0.06 बजंड 0.04 बजंड 0.02	1.00 0.08 0.08 0.80 0.60 0.06 0.03
	योग	किता 4	1.12	-	2.65
2	कानसिंह पिता शंकर सिंह राव सा. देह खातेदार	541 546 573 595 मी.	0.05 0.11 0.10 0.06	जा.द्वि. जा.द्वि. 0.08 चा.द्वि. 0.02 बीड 0.01 बा.प्र. बजंड	0.50 0.80 0.40 0.03 0.45 0.15
	योग	किता 4	1.12	-	2.33
<p>नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>					
<p><i>Amray</i> (अक्षय गोदारा IAS) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>					

अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री अक्षय गोदारा, I.A.S

मुकदमा नम्बर : 155/10 (वाद)

उनवान

1. श्री कानसिंह पिता शंकरसिंह राव निवासी खाम की मादडी तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री रूपसिंह पिता शंकरसिंह राव निवासी खाम की मादडी तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

.....प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.01.2020 को अक्षय गोदारा, I.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किरम	लगान
1	रूपसिंह पिता शंकर सिंह राव सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डबोक रूपसिंह का हिस्सा	536	0.13	जा.द्वि. 0.10	1.00
				बीड 0.03	0.08
		548	0.13	बीड 0.03	0.08
				चा.द्वि. 0.04	0.80
				जा.द्वि. 0.06	0.60
		595/1	0.04	बजंड 0.04	0.06
		596	0.02	बजंड 0.02	0.03
	योग	किता 4	1.12	-	2.65
2	कानसिंह पिता शंकर सिंह राव सा. देह खातेदार	541	0.05	जा.द्वि.	0.50
				जा.द्वि. 0.08	0.80
		546	0.11	चा.द्वि. 0.02	0.40
				बीड 0.01	0.03
				573	0.10
		595 मी.	0.06	बजंड	0.15
	योग	किता 4	1.12	-	2.33

नोट-उक्त अंतिम डिकी का नवशा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलेक्टर
(SDO)मावली